

रेत खनिज की ई-निविदा सूचना


राज्य शासन द्वारा प्रदेश में मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 अंतर्गत समूहवार रेत खदानों के निविदाओं के माध्यम से संचालन के लिए निविदाएं आमंत्रित करने हेतु जिला कलेक्टर को अधिकृत किया है। कलेक्टर कार्यालय जिले में स्थित रेत की खदानों के संचालन हेतु पूर्व की निविदा में निर्धारित मात्रा (वार्षिक) (घन मीटर) में एवं 250 रूपये प्रति घन मीटर (अन्य करों के अतिरिक्त) शेष अवधि हेतु (30 जून 2023 तक) संचालन के लिए एन.आई.सी. के ऑनलाईन पोर्टल <https://mptenders.gov.in> के माध्यम से तकनीकी प्रस्ताव एवं वित्तीय निविदाएं आमंत्रित की जाती है। प्रत्येक समूह की 25 प्रतिशत सुरक्षा निधि के साथ तकनीकी प्रस्ताव एवं वित्तीय निविदा जमा करने की अवधि 23/01/2022 से 13/02/2022 साय: 5:00 बजे तक रहेगी।

निविदा की विस्तृत प्रक्रिया, समूह का विवरण, अनुबंध का प्रारूप, विस्तृत शर्तें तथा प्रक्रिया का विवरण <http://mptenders.gov.in> के अतिरिक्त जिले के पोर्टल/वेबसाइट मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम की अधिकृत वेबसाइट <https://www.mpsmcl.mp.gov.in> तथा संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म के पोर्टल <http://ekhanij.mp.gov.in> पर भी उपलब्ध है। मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण, एवं व्यापार) नियम, 2019 निगम की उक्त वेबसाइट एवं खनिज साधन विभाग की वेबसाइट <http://www.mineralresources.mp.gov.in> पर उपलब्ध है, निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार के संशय के निवारण हेतु ई-मेल modgmjab@mp.gov.in पर पृच्छा भेजी जा सकती है, साथ ही ई-निविदा प्रस्तुत करने हेतु निविदाकार के डिजिटल सिग्नेचर (क्लास III) आवश्यक होंगे। जबलपुर जिले की निविदत्त मात्रा एवं निविदा हेतु शासकीय मूल्य का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	जिले का नाम	समूह संख्या	समूह का नाम/संपूर्ण जिला	समूह में शामिल तहसील की कुल संख्या	समूह में शामिल तहसील का नाम	समूह में सम्मिलित रेत खदानों की कुल संख्या	समूह की निविदा हेतु कुल मात्रा (घन मीटर में)	निविदा हेतु शासकीय मूल्य (ऑपसेट प्राइज रु. 250/- प्रति घन मीटर की दर से)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जबलपुर	01	संपूर्ण जिला जबलपुर	06	जबलपुर, सिहोरा, पाटन शहपुरा, मझौली, कुण्डम	47	600000 (छ: लाख घन मीटर)	150000000 (पंद्रह करोड़ रुपये मात्र)

ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व निविदा प्रक्रिया में कोई तकनीकी त्रुटि या अन्य विसंगति परिलक्षित होती है, तो जिला कलेक्टर द्वारा नियमानुसार निविदा दस्तावेजों/ शर्तों में सुधार कर सकेगा तथा जिसकी जानकारी जिले की वेबसाइट एवं <http://www.mpsmcl.mp.gov.in>, <http://ekhanij.mp.gov.in> एवं <https://mptenders.gov.in> में ही प्रदर्शित की जावेगी। ऐसा सुधार निविदाकर्ताओं पर बंधनकारी होगा।

नोट:- जिला स्तर पर मॉडल प्रारूप में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा।


कलेक्टर
जिला जबलपुर (म.प्र.)